



उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

पत्रांक-

/प्र०नि०/का०प्र०/अ०अ०-१/सहा०अभि०-०३

दिनांक

/०४/२०१४

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोनामित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से उनकी स्वेच्छा पर स्थानान्तरित कर अग्रेत्तर तैनाती हेतु स्तम्भ सं०-४ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	सहायक अभियन्ता का नाम (अभि०सं०) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अग्रेत्तर तैनाती हेतु आवंटित ईकाई/स्थान
१	२	३	४
१	सुश्री नेहा सिंह (२०१४०२०) (चित्रकूट)	सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध) मुख्य अभियन्ता (वितरण) आगरा।	मुख्य अभियन्ता (वितरण) बांदा क्षेत्र, बांदा।


१. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१.०३.०७ में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
२. स्थानान्तरित अधिकारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के, स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यमुक्त किया जायेगा।
३. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं० ५९१०/गोपनीय/पाकालि/(०६)/२००६, दिनांक ११.०६.०१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या पर अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।
४. उक्त अधिकारी को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पदभार ग्रहणकाल नियमानुसार देय नहीं होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक-४२७२/प्र०नि०/का०प्र०/तददिनांक ३०/०४/२०१४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
२. मुख्य अभियन्ता (वितरण) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बांदा/आगरा।
३. अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ ऑफिसर, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
४. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, फिरोजाबाद।
५. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
६. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
७. सम्बन्धित अधिकारी।
८. पी०एफ०/कट फाइल।


(वाई०पी० सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)